न्यायालय अति0जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी–रामकिशोर मीना

प्रार्थना पत्र – 12/25 तारीख रज्जू–15/01/25

1 तहसीलदार गंगापुर सिटी । —— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीचन्द्र पुत्र ग्यारस्या जाति कुम्हार निवासी बामन बडौदा तहसील गंगापुर सिटी।
– अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 28/07/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 नियम 14 (4) के अर्न्तगत प्रस्तुत कर अप्रार्थी को ग्राम बामनबडौदा के खसरा नम्बर 62 रकबा 11 बिस्बा आवंटन दिनांक 24.06.1965 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि भूमि एकीकरण खतौनी सम्बत् 2017 ग्राम बामनबडौदा का खसरा नम्बर 62 रकबा 11 बिस्बा किस्म जमीन बारानी गोरमा सिवायचक लगानी दर्ज है। ग्राम बामनबडौदा के खसरा नम्बर 62 रकबा 11 बिस्बा मिसल नं0 1115 दिनांक 24.06.1965 से श्रीचन्द्र पुत्र ग्यारसा जाति कुम्हार सा0देह को आवंटन हुआ। जिसका अमल जरिये नामान्तकरण सं0 85 दिनांक 11.08.1966 से गैर खातेदार दर्ज हुआ। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध सं0 2039 से गत खसरा नम्बर 62/1 रकबा 5 बिस्बा के हाल खसरा नम्बर 955 रकबा 0.08 है0 बने है। भूप्रबन्ध खतौनी सम्बत 2039 के खाता सं0 211 पर अंकित खसरा नम्बर 143/955 रकबा 0.08 है0 किस्म बारानी उत्तम श्रीचन्द्र पुत्र ग्यारसा जाति कुम्हार सा0देह गैर खातेदार के नाम दर्ज है। ग्राम बामनबडौदा की वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073–76 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी के खाता सं0 299 में ख0नं0 143/955 रकबा 0.08 है श्रीचन्द्र पुत्र ग्यारसा जाति कुम्हार सा0देह गैर खातेदार दर्ज है। मुताबिक खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024 से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:37 IST
Reason: SelfAttested

2076 तक श्रीचन्द्र पुत्र ग्यारसा जाति कुम्हार सा0देह गैर खातेदार द्वारा काश्त नहीं की गई है। आवंटी द्वारा काश्त नहीं की गई है। जो आवंटन शर्तो का उल्लधंन है। मुताबिक मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का खं0नं0 143/955 रकबा 0.08 है0 पर मकानात व बाडे बने हुए है, साथ ही प्रार्थी ने उक्त आवंटन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी पक्षं की बहस सुनने, उस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी पक्ष के तथ्यों के आधार पर उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थी को दिनांक 24.06.1965 को आवंटित हुई थी तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024 से 2076 तक श्रीचन्द्र पुत्र ग्यारसा जाति कुम्हार सा0देह गैर खातेदार द्वारा काश्त नहीं की गई है। जो आवंटन शर्तो का उल्लधंन है। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा जिस आवंटन को निरस्त करने हेतु न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति/छायाप्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह संबंधित आवंटन आदेश मय आवंटन पत्रावली की प्रमाणित प्रति सहित पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:37 IST
Reason: SelfAttested